

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, छठा तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
संख्या-एमई-3/2017/1200 लखनऊ दिनांक 1 अगस्त, 2017

विज्ञप्ति

नीट पी०जी०-2017 के माध्यम से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थियों के लिए सूचना

रिट याचिका (सी) संख्या-28550/2017 मिस मावना तिवारी बनाम यूनिजन ऑफ इण्डिया एवं 13 अन्य मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में प्रस्तुत की गयी है। मा० उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका की सुनवाई करते हुए दिनांक-04 अगस्त, 2017 को निम्न आदेश (संगत अंश) पारित किए गये हैं:-

The Director General of Medical Education will further intimate all the students, who have been admitted in the Mop up round intimating them that their admission is under scrutiny and if any candidate so desire, they may also contest the matter before the High Court.....

List for further hearing on 22-08-2017.

(आदेश का पूर्ण विवरण मा० उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।)
उक्त विज्ञप्ति द्वारा मॉप-अप राउण्ड के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित दिनांक-22 अगस्त, 2017 को यदि वह चाहें तो अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।


महानिदेशक